Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 111-114 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

हरिप्रसाद सिंह[1], संतोष कुमार सिंह[2]
[1]प्रवक्ता,मो0 शफी नेशनल इण्टर कॉलेज हसबर, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

उन्नीसवीं शताब्दी में महिला सुधारवादी आन्दोलनों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार आया है। महिलायें अपनी सुपर पावर से घर व बाहर दोनो क्षेत्र बखूबी सँभाल रही है किन्तु एक स्त्री जिसे आधी दुनिया की संज्ञा दी गयी हैं उसके वर्तमान हालात क्या है एवं क्यो है, इसके लिए किसी अन्य प्राणि की आवश्यकता नही है। जीवन जीना एवं सुरक्षा मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकता है किन्तु नारी कों ये दोनो ही मूल अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त नही है। वर्तमान में कन्या भ्रूण हत्या बलात्कार एवं यौन शोषण लिंगानुपात की भयावह स्थिति को स्पष्ट करते है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्थिति और भी वद्तर हो गयी है। आज से दस वर्ष पूर्व कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व को सख्ती से लागू करने और इसे सख्त बनाने की कोशिश की लेकिन स्थिति को बेहतर नही कर पाये वर्ष 2011 की जनगणना के ऑकड़े बताते है कि वर्तमान लिंगानुपात और अधिक खराब हो गया है। आज प्रति हजार लड़कों के मुकाबले 914 ही लड़किया रह गयी है यानी आने वाले समय से लड़किया को और अधिक कमी होगी। यदि स्त्री रहेगी ही नही तो कैसा महिला सशक्तिकरण होगा। यह बात सोचनीय है कि भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जो कि कोई अन्य नही बल्कि स्वयं माता–पिता एवं सगे सम्बन्धीजन करते है एवं कानूनन अपराध घोषित होने के बाद भी इसमें कमी नही आ रही है। स्पष्ट है एक स्त्री का संघर्ष उसके गर्भ में आने से ही आरम्भ हो जाता है। एवं उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है जो कभी यौन शोषण तो कभी बलात्कार जैसे घृणित कार्यो के रूप से सामने आता है।

KEYWORDS: *नारीवाद, महिला सशक्तिकरण, नारी शिक्षा, महिला सुरक्षा*

वर्ष 2012 के दिसम्बर महीने में एक फिजियोथेरिपिस्ट लड़की के साथ हुयी त्रासदी को हम भूल सकते है? वर्तमान में कलकत्ता में दुष्कर्म की शिकार महिला को न्याय दिलाने के लिये वहॉ का जनसमूह संघर्षरत है? विचारणीय तथ्य है कि देश की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, जैसे हाईप्रोफाइल शहरो में यदि महिलाए सुरक्षित नही है तो ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की क्या हालत होंगे लेकिन यह संतोषजनक तथ्य है कि जहॉ एक दशक पहले तक बलात्कार की शिकार महिलाओं की अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाता था। लोकलाज के आज से ऐसे मामले सामने नही आ पाते थें। यहॉ तक कि पीड़ित के सम्बन्धी जन भी उसका साथ देने को तैयार नही होते थे वही आज संकट की घड़ी में पीड़िता के साथ न केवल परिवार बल्कि एक विशाल जनसमूह एकजुट होकर न्याय दिलाने हेतु सघर्ष में पूर्ण सहयोग करता है।

आज लोगो की संवदेनशीलता को पहचानने और संघर्ष हेतु एकजुट करने में सोशल नेटवर्किंग और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है महिला सुरक्षा हेतु लोग एकजुट होने लगे है और कानून भी सख्त होता जा रहा है आशा है कि आगामी कुछ वर्षो से इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ उम्दा प्रयास होगें। भारत से महिलाओ की स्थिति सुधारने के लिये उन्हें शिक्षित करने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजनीति से सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासो में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है खासतौर पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में 2001 महिला –सशक्तिकरण के लिये सरकार के उद्देश्य है– महिलाओं को समग्र विकास करना, उन्हें पूर्ण पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधाओं प्रशिक्षण रोजगार, समाजिक सुरक्षा के साथ–साथ राजनीतिक सहभागिता, नीति निर्माण व निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास करना है। महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही शैक्षिक योजनाये है, जो निम्नवत है।

1. महिला शिक्षा हेतु आयोग एवं समिति ।
   - (i) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958–59
   - (ii) हंसा मेहता समिति 1962–64
   - (iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
   - (iv) जनार्दन रेड्डी समिति 1992
   - (v) महिला शिक्षा आयोग 1992–93
2. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम 1979–80
3. आपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987–88
4. बालिका समृद्धि योजना 1997
5. कस्तूरबा गॉधी शिक्षा योजना 1997

1: Corresponding Author

6. भाग्यश्री बाल कल्याण योजना 1988
7. आश्रम स्कूल
8. माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियो को प्रोत्साहन योजना
9. कन्याविद्याधन योजना
10. निशुक्ल बालिका शिक्षा
11. सरस्वती योजना
12. शिक्षाकर्मी परियोजना
13. राज्य सरकार की साइकिल योजना
14. स्त्री शाक्ति पैकेज
15. पढ़ना–बढ़ना योजना 1999
16. इंदिरा गाँधी योजना 1999
17. शिक्षा दर्पण योजना 2000
18. जनशाला कार्यक्रम
19. महिला शिक्षा केन्द्र
20. प्रहर पाठशाला
21. लोक जुम्बिश परियोजना
22. महिला समृद्धि योजना
23. स्टेप एवं नोराड योजना
24. स्वाधार योजना
25. किशोरी शक्ति योजना
26. महिला शिक्षा हेतु सघन पाठ्यक्रम
27. महिलाओं हेतु छात्रावास योजना
28. प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम सहायता 30 पोषण शिक्षा योजना

अधिनियम

(i) तलाक एक्ट 2001

(ii) महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2001

(iii) परिव्यक्ताओं हेतु गुजारा भत्ता अधिनियम बिल 2001

(iv) बालिका अनिवार्य शिक्षा व कल्याण विधेयक 2001

उपरोक्त सभी योजनाओं एवं अधिनियम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सफलता पूर्वक चलाये जा रहे है। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनो के प्रयासो की वजह से महिला शिक्षा कार्यक्रम में विकास देखा गया हैं महिलाये स्वाधिकार से शिक्षा गृहण कर रही है। और उनमें शफल हो रही है यही नही भारत सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से महिला शिक्षा के लिये हमेशा कुछ न कुछ होता है।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा–

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)

शिक्षा व अनुसंधान कार्य पद 149 करोड़ रूपये व्यय किये गये। उस समय महिला साक्षरता दर कम थी। इस योजना में बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा के साथ ही संस्थाओं की मान्यता व आधार शिक्षा रखी गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)

इस योजना में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के विषय पर बल दिया गया इस योजना से शिक्षा पर 273 करोड़ रूपये व्यय किये गये। इस धनराशि से प्राथमिक शिक्षा के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना –(1961–66)

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ बहुउद्इदेश्य शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)

महिलाओं के लिये माध्यमिक स्तरों की व्यवस्था की गयी एवं प्रौढ़े शिक्षा की व्यवस्था की गयी।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

इस योजना के काल में शिक्षा के समान अवसरो का विकास कर आत्मनिर्भर समाज के स्थापना के लक्ष्य को स्वीकार किया गया।

छठवी पंचवर्षीय योजना (1980–85)

इस योजना के तहत प्रौढ़ शिक्षा की महत्वाकाक्षी योजना को प्रारम्भ किया गया जिसमें 15 से 30 वर्ष के निरक्षरो को राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)

इस योजना के औपचारिक अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के नवीन अविष्कारो पर विशेष ध्यान दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित करने हेतु 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। जिसके अन्तर्गत महिला शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए यह नीति अपनायी गयी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)

इस योजना में निरक्षरता समाप्त करने इस आत्मनिर्भर समाज की स्थापना हेतु अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के लिए लक्ष्य को स्वीकार किया गया। 1986 की शिक्षा नीति का अनुसरण करते हुए स्त्री शिक्षा को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया गया।

नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

इस योजना में महिलाओं के संबध में दो उल्लेखनीय परिवर्ततन हुये। पहला महिला सशक्तिकरण नौवी योजना के नौ मुख्य उद्देश्य में से एक बना एवं दूसरा महिला से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा आय संरचना एवं मानवीय शक्ति की संकेतिक करने का प्रयास किया गया एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में स्वीकार की गयी।

दशवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)

इस योजना में 12 अनुवेक्षण योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। जिससे प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित है तथा 5 प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से सम्बन्धित हैं

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2002–11)

इस योजना में प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को बॉट दिया गया एवं महिला साक्षरता दर में सुधार करना महिलाओं के लिंग अनुपात में कमी लाना एवं सभी सरकारी योजनाओं के लिंग अनुपात में कमी लाना एवं सभी सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत महिलाओं की आशीदारी 33प्रतिशत सुनिश्चित करना।

इन पंचवर्षीय योजनाओं में महिला शिक्षा पर किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। महिला साक्षरता देहाती लड़कियों के लिये अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सेवाये प्रदान करने हेतु समेकित बाल विकास सेवा जैसे कार्यक्रम चलाये गये। महिलाओं व बालको के विशेष महत्व को स्वीकारते हुये इनकी शिक्षा को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने अनौपचारिक शिक्षा योजनाओं प्रौढ़ शिक्षा और ऐसे अनेक प्रासांगिक विधियों के जरिये उनके तक पहुचने का प्रयास किया गया।

विभिन्न शैक्षिक योजनाओं व पंचवर्षीय के कारण महिला साक्षरता दर में प्रत्येक जनगणना में वृद्धि देखी गयी है। यह वृद्धि 2011 के जनगणना से साफ दिखायी हैड कि कैसे भारत सरकार की महिला–सशक्तिकरण के लिये चलाये जा रहे योजनाये अपने कार्य को सिद्ध कर रहे है सभी जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर में वृद्धि निम्न ऑकड़ो को देखकर सिद्ध हो जाता है।

भारत में साक्षरता के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में कुल 18 प्रतिशत की तुलना में 2011 में भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74 तक जा पहुचा है महिलाओं महिलाओं की साक्षतराक` मामले में उन्हीं 60 वर्षो में साक्षरता का प्रतिशत 65.5 तक पहुँच गया। जनगणना 1951 के अनुसार तब 10प्रतिशत ही साक्षरता थीं आज प्रत्येक तीन में से हो महिलाओं साक्षर है।

2001 की तुलना में 2011 में महिला की साक्षरता दर में 12प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। विहार में महिला साक्षरता की दर उल्लेखनीय है। यह 2001 में 33प्रतिशत से बढ़कर 2011 से 53प्रतिशत हो गयी हैं जहॉ तक महिला साक्षरता का प्रश्न है जिन राज्यों का स्थिति चिन्ताजनक है वे है राजस्थान एवं आन्ध्रप्रदेश दोनो राज्यो में 2001–2011 की उपाधि में कुल 8प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी हैं और दोनो ही राज्यों में महिला साक्षरता की दर 60प्रतिशत से भी कम है। महिला –सशक्तिकरण के द्वारा महिला साक्षरता दर में वृद्धि एक सुखद अनुभूति है। शिक्षित महिलाओं की वजह से 2011 के अस्थायी ऑकड़ों में जनसंख्या –

भारत में महिला पुरूष साक्षरता दर

(1951–2011)

जनगणना वर्ष	पुरूष साक्षरता दर	महिला साक्षरता दर	कुल साक्षरता दर	पुरूष महिला सा0दर में अन्तर
1951	27.16	8.86	18.33	18.3
1961	40.46	15.35	28.30	25.05
1971	45.95	21.97	34.45	23.98
1981	56.38	29.76	43.57	26.62
1991	64.13	39.29	52.21	24.84
2001	75.85	54.16	65.38	21.69
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

वृद्धि में भी कभी देखी गयी है एवं पुरूष महिला अनुपात में अन्तर भी कम हुआ है यही नही सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार एवं राजनीति महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। जिसका कारण सिर्फ शिक्षा है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासो पर गौर करें तो सर्वप्रथम वैचारिक पहल जान लॉक के प्राकृतिक अधिकारो कीी अवधारणा से होती है। लेखक जे0एस0 मिल0 ने भी अनेक तर्कों के माध्यम से महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार समर्थन किया सन् 1989 से पी0 याथर ने अपनी पुस्तक Conturoranry womens Fiction में नारीवाद के कई रूपों का चित्रण प्रस्तुत किया है। जिससे सास्कृतिक नारीवाद समाजवादी उदारवादी नारीवाद उग्र नारीवाद मत्रांविलेश्णात्मक नारीवाद व अकादमिक नारीवाद आदि क्षेत्रों की चर्चा की। थेयर जैसे वैश्विक लेखकों ने महिला आन्दोलन हो प्रखर बनाया है।

महिला सशक्तिकरण के प्रयासो की कार्यक्रम में परिणीति सर्वप्रथम 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी से ही गयी थी जिसमें महिलाओं के मूलभूत अधिकारो पर चर्चा हुयी इसी विषय पर 1995 में बीजिंग सम्मेलन पर चर्चा हुयी। एवं इच्छुक राष्ट्रो के

लिए आवश्यक निर्देश तैयार किये गये। अनेक देशों के अधिकार पत्रों के महिला एवं पुरूष के समान अधिकार की पुष्टि की है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1995 से 2004 तक के दशक को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शिक्षा दशक घोषित किया गया है।

सन्दर्भ

अग्रवाल, वी वी 1997 : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर

उपाध्याय, प्रतिभा 2009 : भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियां, इलाहाबाद, भारत पुस्तक भवन

गुप्ता, एस पी 1998 : भारतीय शिक्षा का इतिहास , विकास एवम् समस्यायें, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन

दुबे, मनीष विभा 2009 : भारतीय शैक्षिक पद्धति का इतिहास, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन